उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०

(CIN: U85310UP2018SGC102425) (GSTIN: 09AACCU2250P1ZZ)

पंजीकृत कार्यालय : सूडा भवन, 7/23 सेक्टर–7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010

वेबसाइटः www.upmsc.in ई.मेलः drugs@upmsc.in सम्पर्क सूत्रः 0522–2838102

पत्रांकः1179/यूपीएमएससीएल/06/2021 लखनऊ,दिनांक 21 सितम्बर,2021

–ःआदेशः–

निगम द्वारा PPE Coverall Breathable Fabric for COVID-19 with Shoe Cover की 5 लाख नग मात्रा के उपार्जन हेतु निविदा सं0 ड्रग्स–065/230, दिनांकः 12.08.2020 को निर्गत की गयी जिसमें M/s Paragon Apparel Pvt Ltd, Regd. Off:A-106, Lajpat Nagar-1, New Delhi-110024 अर्ह घोषित हुई एवं निगम द्वारा निर्गत आशय पत्र (LOI) सं0–8009/ UPMSCL/DRUGS/LOI/2020, Dated 28-08-2020 में उल्लिखित 50,000 पीपीई कवरऑल की आपूर्ति के सापेक्ष अनुबन्ध पत्र निविदा प्रपत्र के 'निर्धारित प्रारूप' [FORMAT-XV, Page 58 of 62, 59 of 62 & 60 of 62] तैयार कर सम्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए निगम के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना था। परन्तु कम्पनी/फर्म द्वारा निविदा–प्रपत्र के निर्धारित प्रारूप में जानबूझ कर अतिरिक्त खण्ड (Clause)संख्या–08 जोड़ा गया जोकि प्रथम दृष्टया अनधिकार चेष्टा के साथ निविदा शर्त [Section-III,Clause-13(iv)] का उल्लंघन माना गया। अतिरिक्त खण्ड (Clause) का उद्धरण निम्नवत् है–

''All the quantity against the above mentioned tender, LOI and purchase order will be invoiced through our sole distributer M/s Citylife Technologies Pvt Ltd, Registered office at 914, 9th floor, Arunachal Building, Barakhamba road, New Delhi-110001 which is fully authorized to make supplies to UPMSCL, raise the invoice directly in favour of UPMSCL and collect payment in their own favour for our product against the above mentioned supplies.''

उक्त के क्रम में सम्बन्धित कम्पनी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित एव पर्याप्त अवसर 'कारण बताओं नोटिस' के साथ प्रदान किया गया। कम्पनी/प्राधिकृत प्रतिनिधि की ओर से प्राप्त प्रत्युत्तर (संदर्भ संख्या–PAPL/UPMSCL/120721-1 दिनांकः 12.07.2021) तथा पत्रावली में प्रस्तुत सुसंगत अभिलेखों के गहन अध्ययन/परीक्षण व सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि M/s Paragon Apparel Pvt Ltd कम्पनी /फर्म की ओर से निविदा–प्रपत्र के निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र निगम को न प्रस्तुत कर, प्रारूप में जानबूझ कर अतिरिक्त खण्ड (Clause 08) जोड़ा गया जोकि अनधिकार चेष्टा के साथ निविदा शर्त [Section-III,Clause-13(iv)]का उल्लंघन (Violation) है तथा तथ्यों के हेर–फेर (Manipulation) के कारण उक्त कृत्य Fraudulent Practices "Section-III, Clause-25(ii)" से भी आच्छादित है।

अतः उक्त तथ्यों व निष्कर्षो के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध निदेशक/निविदादाता द्वारा, प्रतिनिधायित शक्तियों का प्रयोग करते हुए M/s Paragon Apparel Pvt Ltd को निगम द्वारा भविष्य में जारी (Floated) सभी निविदा(ओं) में प्रतिभाग करने से आदेश निर्गत तिथि से 03 वर्षो की अवधि हेतु वंचित (Debar) किया जाता है।

Kanchan

(कंचन वर्मा)

प्रबन्ध निदेशक/निविदाकार

पृ0सं0: 1179 / यूपीएमएससीएल / 06 / 2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0।
4. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0।
5. परामर्शदाता (औषधि उपार्जन), उ0प्र0मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0।
6. महाप्रबन्धक (औषधि उपार्जन), उ0प्र0मेडिकल सप्लाईज कार्पोरशन लि0।
7. महाप्रबन्धक (गुणवत्ता नियंत्रण), उ0प्र0मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0।
8. प्रबन्धक (आई.टी.), उ0प्र0मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित पोर्टल / वेबसाइट पर अपलोड़ कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता / कम्पनी / फर्म।

Kanchan

(कंचन वर्मा)

प्रबन्ध निदेशक